XXXI(a)-BR(H)-II

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रंमाक R02578-II/14 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-8-14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अभिभाषक के तर्को पर विचार किया । यह निगरानी रामजियावन विरूद्ध शंकर जोगी द्वारा दिनांक 14–7–14 को रीवा कैंप पर नायब तहसीलदार वृत्त सिमरिया के प्रकरण क्र0 23/अ–6/13–14 में पारित आदेश दिनांक 15–4–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व सहिंता की धारा–50 के तहत् प्रस्तुत की गई है । तहसील न्यायालय में रामजियावन पक्षकार नहीं था । उनके द्वारा इस न्यायालय में सीधे निगरानी प्रस्तुत की गई है । आवेदक पहले तहसील न्यायालय में पक्षकार बने, उसके बाद इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करने की कार्यवाही करें । अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी आधारहीन होने से इसी स्तर पर समाप्त की जाती हैं । दाखिल रिकॉर्ड हो । (एम0के0 सिंह) सदस्य	

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय रेवेन्यू बोर्ड ग्वालियर श्रृंखला न्यायालय रीवा (म.प्र.)

10 रु. COURT FEE भारत INDIA Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

10 रु. COURT FEE भारत INDIA Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

375/14.7.14

Rs. 201

R - 2578 - II / 14

राम जियावन जोगी तनय भोलानाथ जोगी उम्री 68 वर्ष, पेशा खेती निवासी ग्राम मोर्चा तहसील गोपद बनास जिला–सीधी (म.प्र.) ....**पुनरीक्षणकर्ता**

बनाम

1. शंकर जोगी पिता रामनाथ जोगी उम्री 38 वर्ष, पेशा खेती निवासी ग्राम सरदा तहसील सिहावल जिला–सीधी (म.प्र.)
2. रामनाथ जोगी पिता भोलानाथ जोगी उम्री 75 वर्ष, पेशा खेती निवासी ग्राम सरदा तहसील सिहावल जिला–सीधी (म.प्र.) ....**उत्तरदातागण**